

न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 08/2022

निर्णय दिनांक 25.03.2022

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का शेरपुरा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

(प्रार्थी)

बनाम

निराणाराम पुत्र सुखाराम जाति बावरी साकिन चक 5 एसएलडी तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर ।

(अप्रार्थी)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

-निर्णय-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का शेरपुरा व भू.अ.निरीक्षक राणे ने रिपोर्ट मय प्रपत्र पी. 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने चक 5 एसएलडी मुरब्बा नम्बर 89/19 किला नम्बर 20, 21 = 2.00 बीघा (सरसो की फसल), किला नम्बर 24 = 0.10, 25 = 1.00 कुल 1.10 बीघा (चना की फसल) कुल तादादी 3.10 बीघा कमाण्ड राजकीय भूमि पर कृषि सम्वत् 2078 फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर सरसो, चना की फसल काशत कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस अप्रार्थी के द्वारा तामिल किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरुद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण मे अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर भू-राजस्व का 50 गुना 307/-अक्षरे तीन सौ सात रुपये शास्ति आरोपित कर, बेदखली के आदेश पारित किये जाते है।

भू.अ.निरीक्षक राणे को आदेशित किया जाता है कि कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलामी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष मे जमा करावे। तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

